संख्या– 429 /VI-I/2006–2(19)2007

प्रेषक,

विजय कुमार ढौंडियाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
देहरादून।

संस्कृति अनुभाग

देहरादून दिनांक 25 अक्टूबर, 2007

विषय :–वित्तीय वर्ष 2007–08 में विभिन्न मदों /योजनाओं में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्र संख्या–599(1)/XXXII(1)/2007 दिनांक–12–7–2007 एवं शासनादेश संख्या–182/VI-I/2007–2(19)/2007 दिनांक–4–4–07, शासनादेश संख्या– 373/VI-I/2007–2(19)/2007 दिनांक–24 अगस्त 2007 तथा शासनादेश संख्या–385/VI-I/2007–2(19)2007 दिनांक–30 अगस्त 2007, के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड के वित्तीय वर्ष 2007–08 के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि में रू0 21093000.00 (रूपये दो करोड़ इक्कीस लाख तिरानवें हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संलग्न विवरणानुसार श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बंध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–599(1)/XXVII(1)2007 दिनांक–12–7–2007 में विहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व वित्त विभाग की सहमति प्राप्त किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

3. धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

4. धनराशि का एक मुश्त आहरण न करके आवश्यकतानुसार मासिक व्यय की समय सारिणी बनाकर ही आहरण किया जायेगा। आवंटित धनराशि की व्यय की संकलित सूचना बी0एम0–13 पर प्रतिमाह अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जायेगी।

5. धनराशि का किसी भी दशा में व्यपवर्तन नहीं किया जायेगा। धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

6. धनराशि का आहरण परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जाय, किसी भी दशा में धनराशि का आहरण परिव्यय एवं बजट व्यवस्था की सीमा से अधिक नहीं किया जायेगा।

7. एतद् संलग्नक के कमांक–'छ' पर अंकित विभिन्न योजनाओं में धनराशि स्वीकृत पूर्व प्रस्ताव बनाकर शासन स्तर से अनुमति प्राप्त कर ही व्यय किया जायेगा। निर्माण कार्य सम्बंधी प्रकरणों में आंगणन तैयार कर अनिवार्य रूप से शासन से परीक्षणोपरान्त वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करते हुए व्यय की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

8. इस सम्बंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2007–08 उपर्युक्त अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2205 के आयोजनागत पक्ष के विभिन्न मानक मदों के नामे संलग्न विवरणानुसार डाला जायेगा।

9. उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र संख्या–529 (पी)/वित्त–(3)/2007 दिनांक–22 अक्टूबर 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विजय कुमार ढौंडियाल)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 529 /VI-I/2007, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित किये जाने हेतु।
3. निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित किये जाने हेतु।
4. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
7. एन.आई.सी. उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव

शासनादेश संख्या- 429 /VI-I/2006-2(19)2007 का संलग्नक

आयोजनागत

(क)2205-कला एवं संस्कृति-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-सांस्कृतिक कार्य निदेशालय-00- (धनराशि हजार रूपये)	
04-यात्रा व्यय	18
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	40
07-मानदेय	15
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	100
25-लघु निर्माण कार्य	100
29-अनुरक्षण	100
42-अन्य व्यय	1833
45-अवकाश यात्रा व्यय	50
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/सापटवेयर का क्रय	50
योग	2356
(ख) 2005-कला एवं संस्कृति -00-101-ललित कला शिक्षा-03-भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय-00 (धनराशि हजार रूपये में)	
02 मजदूरी	1
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	20
07-मानदेय	5
08- कार्यालय व्यय	100
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	100
18-प्रकाशन	25
21-छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	10
22-आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	10
25- लघु निर्माण कार्य	100
29-अनुरक्षण	100
44-प्रशिक्षण व्यय	30
45-अवकाश यात्रा व्यय	25
योग	576
(ग) 2205-कला एवं संस्कृति-00-102-कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन-04 -स्व0 गोविन्द बल्लभ पन्त लोक कला संस्थान-00 (धनराशि हजार रूपये में)	
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1
07-मानदेय	2
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10
44-प्रशिक्षण व्यय	10
योग	23
(घ) 2205-कलाएवंसंस्कृति-00-103 पुरातत्व विज्ञान-03-पुरातत्व अधिष्ठान-00(धनराशि हजार रूपये में)	
27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	300
29-अनुरक्षण	200
42-अन्य व्यय	167
योग	667
(ङ) 2205-कला एवं संस्कृति-00-104-अभिलेखागार-03-राज्य अभिलेख-00-	

05– स्थानान्तरण यात्रा व्यय	20
07–मानदेय	10
08–कार्यालय व्यय	100
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	10
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	100
18–प्रकाशन	50
26–मशीनें और साज्जा/उपकरण और संयंत्र	100
44–प्रशिक्षण व्यय	10
45–अवकाश यात्रा व्यय	25
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/सापटवेयर का क्रय	100
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बंधी स्टेशनी का क्रय	25
योग	600

(च) 2205–कला एवं संस्कृति–00–107 संग्रहालय–03–अधिष्ठान व्यय–00 (धनराशि हजार रूपये में)

02–मजदूरी	1
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1
07–मानदेय	4
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	20
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	100
18–प्रकाशन	25
25–लघु निर्माण कार्य	50
29–अनुरक्षण	100
44–प्रशिक्षण व्यय	20
45–अवकाश यात्रा व्यय	25
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/सापटवेयर का क्रय	50
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बंधी स्टेशनी का क्रय	25
योग रूपये	471

छ– 102–कला एवं संस्कृति का सम्वर्द्धन–01के आयोजना./केन्द्र पुरोधानित यो.

102 अभिलेखीय सुरक्षा, पुस्त.एवं संग्रहालय हेतु सहा.–20सहायक अनु/अंश/राजसहायता	250
103 क्षेत्रीय एवं स्थानीय संग्र. का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय सहायता–20 सहायक अनु./अंशदान/राजसहायता	2000
104 सांस्कृतिक गतिविधियों के शोध कार्य हेतु सहा.–20सहायक अनु./अंश./राजसहायता	100
105 व्यक्तिगत एवं व्यवसायिक समूहों को विशिष्ट प्रदर्शन कला परि. हेतु वित्तीय सहायता –20सहा. अनु./अंशदान/राजसहायता	100
106 हिमालयी क्षेत्र की सां. धरोहरों का संरक्षण एवं उन्नयन–20सहा. अनु./अं.दा./रा.सहा.	100
107 जनजा. लोक कला का उन्नयन एवं विकास –20सहायक अनु./अंशदान/राज सहा.	100
108 गैर सरकारी सां.संगठनों को भवन उप. हेतु अनु.–20सहायक अनु./अंशदान राज सहा.	100
109 विभिन्न सांस्कृतिक विधाओं में कार्य कर रहे नव कलाकारों को छात्रवृत्ति–20सहायक अनु./अंशदान/राजसहायता	100
110 कला एवं अन्य विधाओं से जुड़े ऐसे विपन्न कलाकारों तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता–20सहायकअनु./अंशदान/राजसहायता	100
111 प्रदर्शनकारी कलाओं, साहित्यिक एवं दृश्य कलाओं के क्षेत्र में कार्य कर रहे विशिष्ट कलाओं को कनिष्ठ एवं वरिष्ठ फेलोशिप–20सहायक अनु./अंशदान/राजसहायता	100
2205–102 कला एवं संस्कृति का सम्वर्द्धन–	0

03 स्वायत्तशासी संस्थाओं को अनुदान–20सहायक अनु / अंशदान / राजसहायता	2850
06 साहित्यिक कला परिषद की स्थापना–20सहायक अनु / अंशदान / राजसहायता	1000
07 पारंपरिक उत्सव में कलाकार तथा तकनीकी योगदान–02 मजदूरी	1000
13 उदयशंकर नृत्य अकादमी 20 स.अ. / अंशदान / राजसहायता	500
15 अंतराज्यीय सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम– 42 अन्य व्यय	500
17साहित्यक कृतियों के प्रकाशकों को सहायता–20 सहा.अनु / अंशदान / राजसहायता	1000
27संरक्षित स्मारकों एवं प्राचीन भवनों का संरक्षण–29 अनुरक्षण	5000
91–बद्री केदार उत्सव–42 अन्य व्यय	1500
योग	16400
महायोग	21093

(विजय कुमार ढौंडियाल)
अपर सचिव